अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक अरविन्द कुमार सिंह, निबंधन सं0–2170525/Class-II) को कार्य प्रमंडल, गया के अधीन योजना शीर्ष PMGSY के तहत L143-Tengara Road to Manikbigha (Track-143) (Package No-BR-12R-926) पथ का कार्य आवंटित था, जिसके एकरारनामा संख्या–112/PMGSY/SBD/2017-18 के अनुसार पथ का निर्माण कार्य प्रारंभ की तिथि–29.12.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि–28.12.2018 है।

उक्त पथ के निर्माण कार्य संवेदक की उदासीनता के कारण ससमय नहीं होने के कारण कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गया द्वारा पत्रांक–366, गया/दिनांक–15.02.2019 पत्रांक–410, गया/दिनांक–23.02.2019 एवं पत्रांक–835 (अनु0), गया/दिनांक–29.05.2019 स्मारित करने पश्चता भी संवेदक द्वारा कार्य प्रगति करने की दिशा में कोई अभिरूची नही ली गयी। अंततः कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गया द्वारा पत्रांक–2146, गया/दिनांक–30.11.2019 के तहत S.B.D की कंडिका 52.2 सी0ई0 के तहत कार्रवाई करते हुए एकरारनामा संख्या– 112/PMGSY/SBD/2017-18 को विखंडित किया गया। साथ ही S.B.D की कंडिका 53.1 के आलोक में कार्रवाई करते हुए अग्रधन एवं जमानत की राशि जब्त की गयी उसके बाद शेष बची राशि रूपया 85521.00 मात्र का बैंक ड्राफ्ट बनाकर जमा करने का निदेश दिया गया। अन्यथा संवेदक के विरूद्ध Certificate Case दायर किये जाने का उल्लेख करते हुए Blacklist करने की अनुशंसा की गयी।

मुख्य अभियंता के पत्रांक–5367 (अनु0) दिनांक–29.12.2020 एवं क्षेत्रीय अभियंताओं से प्राप्त Blacklist करने की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–159 दिनांक–18.01.2021 द्वारा कारण पृच्छा की गई तथा सात (7) दिनों के अंदर संवेदक को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। संवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गया से मंतव्य की मांग की गयी। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गया के पत्रांक–2228 अनु0 दिनांक–24.12.2021 द्वारा दिये गये मंतव्य एवं संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोपरांत संवेदक अरविन्द कुमार सिंह, निबंधन सं0–2170525/Class-II) को विभागीय Blacklist में डालने का निर्णय लिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना (C.W.J.C. No-1193/2022) द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय समीक्षोपरांत विभागीय सकारण आदेश सं0–46 दिनांक–05.01.2022 को रद्द करते हुए संवेदक अरविन्द कुमार सिंह, निबंधन सं0–2170525/Class-II) को कालीसूची से मुक्त किया जाता है।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

(210)

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0)कालीसूची—10—21/2023 - 2104 /पटना, दिनांकः—17/04/23

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/4/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0) कालीसूची—10—21/2023 - 2104 /पटना, दिनांकः— 17/04/2023

प्रतिलिपिः—सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/4/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0) कालीसूची—10—21/2023 - 2104 /पटना, दिनांकः—17/04/2023

प्रतिलिपिः— प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—14/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/4/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः—मु0अ0—4(मु0) कालीसूची—10—21/2023 - 2104 /पटना, दिनांकः—17/04/2023

प्रतिलिपिः— संवेदक संवेदक अरविन्द कुमार सिंह, निबंधन सं0—2170525/Class-II), पता—अमरा, सोहेपुर, मानपुर, जिला—गया को सूचनार्थ प्रेषित।

17/4/23

अभियंता प्रमुख